



# मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं.-7, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर- 482008 (म.प्र.)

वेबसाइट – [www.mpez.co.in](http://www.mpez.co.in)

क्रमांक प्रसं/पू.क्षे./अ.स./लाईन परि.(सं)/3201

जबलपुर दिनांक 08.07.2013

## लाईन परिचारक (संविदा) नियुक्ति हेतु विज्ञापन

आन लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 03.08.2013

1. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियां हैं, में लाईन परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी इच्छुक उम्मीदवारों से आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अन्य राज्य के मूल निवासी आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।
2. लाईन परिचारक (संविदा) के पदों हेतु तीनों कंपनियों में वर्गवार/श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक	विद्युत वितरण कंपनी का नाम	रिक्त पदों की संख्या				कुल पद
		अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पिछड़ा वर्ग	
1	मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर (वरिष्ठ लाईन परिचारक – संविदा के पदों के विरुद्ध)	317	100	124	87	628
2	मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. भोपाल	158	51	136	07	352
3	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. इंदौर	249	78	146	74	547

**टीप:** पदों की संख्या पूर्णतः प्रावधिक है। कंपनी द्वारा इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

### 3. आरक्षण:

- 3.1 मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य शासन की निर्धारित रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी।
- 3.2 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (कृपया निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें):
- 4.1 आवेदन पत्र केवल एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in> पर उपलब्ध हैं। आवेदन एमपीऑनलाइन के अधिकृत Kiosk के माध्यम से भी किये जा सकते हैं। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये <https://www.mponline.gov.in> पर Authorized Kiosk list link देखें।
- 4.2 आवेदन हेतु एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in> हेतु लिंक विद्युत वितरण कंपनियों की निम्नलिखित वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं।

[www.mpez.co.in](http://www.mpez.co.in), [www.mpcz.co.in](http://www.mpcz.co.in) तथा [www.mpwz.co.in](http://www.mpwz.co.in)

### 5. आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार:

- 5.1 आवेदन शुल्क रु.250/ (रुपये दो सौ पचास मात्र) अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट होगी।
- 5.2 यदि उम्मीदवार एक से अधिक कंपनियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो अभ्यर्थी को नियुक्ति के संबंध में कंपनियों के चयन की प्राथमिकता अंकित किया जाना आवश्यक है। आवेदक को इस हेतु एक ही आवेदन करना होगा।
- 5.3 आवेदन पत्र एमपीऑनलाइन कियोस्क पर नगद भुगतान कर प्रेषित किये जा सकते हैं। ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों को पोर्टल प्रभार रु.60/- का भुगतान पृथक से किया जाना आवश्यक है।

## आवेदन शुल्क एवं पोर्टल प्रभार का संक्षिप्त विवरण:

क्रमांक	श्रेणी	आवेदन शुल्क	पोर्टल प्रभार
1	अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थी	निरंक	रु.60/-
2	मध्यप्रदेश राज्य के अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	रु.250/-	रु.60/-

### 6. शैक्षणिक योग्यता:-

- 6.1 उम्मीदवार दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं भारत के किसी राज्य शासन या केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से आई.टी.आई. परीक्षा के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम (अप्रेंटिस अवधि छोड़कर) निर्धारित ट्रेड (विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन) में उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे।
- 6.2 महिला उम्मीदवार जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता धारित करती हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं, तथापि कार्य में जोखिम होने के कारण आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार इस पहलू पर पूर्ण विचार करें।
- 6.3 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आईटीआई परीक्षा विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड से निर्धारित न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण नहीं की है, लेकिन उच्च शिक्षा जैसे कि डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है, उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

### 7. आयु सीमा:

- 7.1 आवेदक आवेदक की आयु दिनांक 1-1-2013 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं तलाकशुदा/विधवा महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। अनु.जाति, अनु.जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिक, तलाकशुदा/विधवा महिला अभ्यर्थी को अधिकतम आयुसीमा में उपर्युक्त छूट के अलावा 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट की पात्रता होगी।
  - 7.2 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनुबंध के आधार पर म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोतों पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर का कुल कार्य (तीनों प्रकृति) 5 वर्ष से कम किया है अथवा कर रहे हैं, उन्हें कुल कार्यअनुभव की अवधि के समतुल्य अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। विद्युत वितरण कंपनियों में मीटरवाचक, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर अनुबंधित आपरेटर, बाह्य स्त्रोतों पर कार्य के आधार पर संचालित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर आपरेटर की कुल कार्य (तीनों प्रकृति) अवधि का पांच वर्ष या अधिक का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्याधीन होगी। अधिकतम आयुसीमा के निर्धारण के लिए कार्यअनुभव (पूर्ण वर्ष) की अवधि जोड़ने की पात्रता होगी। आवेदक को कार्य अनुभव के सापेक्ष संबंधित कार्यपालन अभियंता का प्रमाणपत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी।
  - 7.3 म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्य के दौरान मृत नियमित श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रितों को अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। इस हेतु आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन के संबंध में पावती की एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें इस आशय का शपथपत्र संलग्न करना होगा कि - उम्मीदवार मृतक कर्मचारी का आश्रित है।
  - 7.4 उम्मीदवार को उपर्युक्त कंडिका 7.2, एवं 7.3 के अंतर्गत आयुसीमा में छूट की पात्रता होने की दशा में किसी एक कंडिका के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट का लाभ दिया जावेगा। अभ्यर्थी को जिस श्रेणी के अंतर्गत आयुसीमा में छूट की पात्रता होगी, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर अभिलेखों के सत्यापन के समय उसके सापेक्ष मूल प्रमाणपत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. **शारीरिक शारीरिक दक्षता परीक्षण पर उपस्थिति के समय उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाणपत्र एवं अंकसूची मूलतः एवं एक सत्यापित प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य है:**

1. शैक्षणिक योग्यता (10 वीं की अंक सूची)
2. व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाणपत्र
3. एमपी आनलाईन के कियोस्क के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र के कम्प्यूटराईज्ड प्रिंट की मूल प्रति
4. एमपी आनलाईन के कियोस्क संचालक द्वारा प्रदत्त भुगतान की कम्प्यूटराईज्ड रसीद की मूल प्रति
5. मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र
6. जाति प्रमाण पत्र (संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों हेतु)
7. पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक/पासपोर्ट/पेनकार्ड)

### आवेदक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें (जहाँ लागू हो):

8. ठेके पर किये गए कार्य हेतु वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाणपत्र
  9. मण्डल में कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों के संबंध में प्रमाण एवं मृतक कर्मचारी के आश्रित होने के संबंध में शपथपत्र
  10. शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्रायवेट लिमिटेड) उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार का नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
  11. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र
  12. तलाकशुदा अथवा विधवा महिला उम्मीदवार के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र
- 8.1 उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है, अथवा जिस आधार पर उसने आयुसीमा में छूट/अन्य अधिभार प्राप्त किये हैं, वह पूर्ण नहीं करता/करती है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।

### 9. चयन प्रक्रिया:

- 9.1 प्राप्त आवेदनों में से आई.टी.आई. (विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) में प्राप्त अंकों एवं पात्रतानुसार अधिभार को जोड़कर प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) बनायी जावेगी एवं आवश्यकतानुसार पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय वांछित आवेदन पत्र एवं भुगतान की रसीद का कम्प्यूटराईज्ड प्रिंट, प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं स्वप्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत करना होंगी, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को रिक्तियों की उपलब्धता अनुसार नियुक्त किया जा सकेगा।
- 9.2 ऐसे आवेदक जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनियों में ठेके पर मीटरवाचक या 33/11 उपकेन्द्र के संचालन (आपरेटर) का कार्य कम से कम 3 वर्ष किया है, को आई.टी.आई. परीक्षा के प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत अधिभार (weightage) जोड़ा जावेगा, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी। अधिभार (weightage) की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं। वर्तमान में ठेके पर कार्यरत मीटरवाचकों अथवा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र पर कार्यरत अभ्यर्थी के कार्यअनुभव की गणना दिनांक 01.01.2013 तक की जावेगी। कार्यअवधि पर अधिभार मीटरवाचक/उपकेन्द्र आपरेटर के रूप में किये गये कार्य की कुल अवधि के आधार पर दिया जावेगा।
- 9.3 म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्य के दौरान मृत नियमित श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रितों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी परीक्षा में प्राप्त अंकों पर 5 प्रतिशत भार (weightage) दिया जावेगा। भार (weightage) की पात्रता केवल ऐसे अभ्यर्थियों को होगी जो न्यूनतम अर्हकारी अंक, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं।
- 9.4 उम्मीदवार को उपर्युक्त कंडिका 9.2 एवं 9.3 के अंतर्गत पात्रता होने की दशा में किसी एक कंडिका, जो भी अधिक हो, के प्रावधानों के अनुसार ही भार (weightage) का लाभ दिया जावेगा।
- 9.5 शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा :
- (1) निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से टूल-किट एवं रस्सी झूला लेकर 2 मिनट में चढ़ना एवं उतरना
  - (2) 15 कि.ग्रा. वजन लेकर 10 मिनट में 1 कि.मी. पैदल चलना।
- 9.6 कंपनी में उम्मीदवार का अंतिम चयन, शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक परीक्षण में पृथक-पृथक सफलता के पश्चात तैयार की गई प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

### 10. चयन एवं नियुक्ति:

- 10.1 अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को उपस्थिति के समय रू.1000/- के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में कंपनी के साथ तीन वर्ष हेतु अनुबंध करना होगा। अनुबंध अवधि में उभय पक्षों द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना अथवा एक माह के पारिश्रमिक राशि के भुगतान के आधार पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- 10.2 चयनित उम्मीदवारों को आवश्यकतानुसार कंपनी के कार्यक्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा।

### 11. प्रशिक्षण:

चयनित उम्मीदवारों को 3 माह के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) में संस्थागत तथा कार्य निष्पादन का मैदानी प्रशिक्षण दिया जावेगा। यदि उम्मीदवार प्रशिक्षण में किये गये मूल्यांकन में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

## 12. पारिश्रमिक:-

12.1 लाईन परिचारक (संविदा) पद के चयनित उम्मीदवारों को संविदा नियुक्ति पर प्रथम वर्ष में निश्चित सकल पारिश्रमिक रु.7000/-, द्वितीय वर्ष रु.8000/- एवं तृतीय वर्ष रु.9000/- प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक देय होगा।

12.2 प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रशिक्षण अवधि के उपरान्त लाईन परिचारक (संविदा) के रूप में अनुबंधित होने पर संबंधित को शासकीय कार्य से यात्रा हेतु कंपनी में लाईन परिचारक स्तर के कर्मचारी के अनुरूप नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की पात्रता होगी।

## 13. महत्वपूर्ण तिथियाँ

समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की दिनांक	—	05.07.2013
ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	—	03.08.2013

उल्लेखित तिथियों में बिना कारण बताये परिवर्तन किया जा सकेगा।

## 14. अन्य शर्तें:-

- ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय/अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं, सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय ऐसे अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाये जाने पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय (साधारण) श्रेणी का रेल अथवा वास्तविक बस किराया, आवेदन पत्र में अंकित स्थायी पता के आधार पर, मूल टिकट प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा। इस हेतु आवेदक को जाति प्रमाणपत्र की छाया प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद संबंधित कंपनी के मुख्यालय स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही मान्य होंगे।
- विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या पूर्णतः प्रावधिक है। विद्युत वितरण कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुरूप पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकती हैं। कंपनी को बिना कारण बताये विज्ञापन निरस्त करने का भी अधिकार होगा।
- ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.1.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, को आवेदन की पात्रता नहीं है।
- यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो ऐसे उम्मीदवार का चयन/नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।

अतिरिक्त सचिव  
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.  
जबलपुर